सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 32/2019

दायर दिनाँक 23.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. रणजीतखाँ पुत्र स्वर्गीय मुरादखाँ, उम्र–57साल, जाति–कायमखानी, निवासी–निम्बीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अजीतखाँ पुत्र मुरादखाँ, 2. रमजानखाँ पुत्र मुरादखाँ, 3. हनीफखाँ पुत्र अलाबदी बगस खाँ, उम्र–72साल, 4. असगरखाँ पुत्र अलाबदी बगस खाँ, उम्र–65साल, 5. शौकतखाँ पुत्र अलाबदी बगस खाँ, उम्र–62साल, 6. मुस्ताकखाँ पुत्र गुमानखाँ, 7. नूर मोहम्मद पुत्र गुमानखाँ, 8. अयूबखाँ पुत्र स्वर्गीय हिदायतखाँ, 9. गुलशेरखाँ पुत्र स्वर्गीय हिदायतखाँ, 10. हबीबखाँ पुत्र नियामतखाँ, 11. शरीफखाँ पुत्र नियामतखाँ, 12. जाकिर पुत्र स्वर्गीय यूसुफ, 13. इलायचीबानो पत्नी स्वर्गीय भँवरूखाँ, 14. अब्दुल रहमान खाँ स्वर्गीय भँवरूखाँ, 15. सफी खाँ पुत्र सहाजतखाँ, 16. उमदा पत्नी दराबखाँ, 17. रजाकखाँ पुत्र दराबखाँ, 18. उस्मानखाँ पुत्र दराबखाँ, 19. मुमताजखाँ पुत्र अकबरखाँ, 20. नत्थूखाँ पुत्र अकबरखाँ, 21. असगरखाँ पुत्र इनायतखाँ, 22. शमशेरखाँ पुत्र इनायतखाँ, 23. हबीबखाँ पुत्र नबूखाँ, 24. फैजूखाँ गोदपुत्र हिमतखाँ, 25. शौकतखाँ पुत्र मालूखाँ, 26. सतारखाँ पुत्र मालूखाँ, 27. रूस्तमखाँ पुत्र अलीमखाँ, 28. दौलतखाँ पुत्र अलीमखाँ, 29. हीरूखाँ पुत्र अलीमखाँ, 30. नूर मोहम्मद पुत्र नजीरखाँ, 31. रजाकखाँ पुत्र नजीरखाँ, 32. ईकबालखाँ पुत्र नजीरखाँ, 33. पन्नेखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 34. मोतीखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 32/2019
दायर दिनाँक 23.01.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
रणजीतखाँ बनाम् अजीतखाँ, वगैरा।

		35. चाँदखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 36. सतारखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 37. मुमताजखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 38. उमरदराज पुत्र समदरखाँ, 39. जहाँगीरखाँ पुत्र समदरखाँ, 40. मनवरखाँ पुत्र समदरखाँ, 41. अजीजखाँ पुत्र समदरखाँ, 42. सांवतखाँ पुत्र करीमखाँ, 43. भँवरीबानो पत्नी उम्मेदखाँ, 44. रोशनखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 45. अलखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 46. इसबखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 47. नियाजखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 48. यासीनखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 49. असगरखाँ पुत्र इनायतखाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–निम्बीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 50. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 51. मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–डिकावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादी।
2. श्री हाकमअली खाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 06, 08 ता 11 व 13 ता 15 की ओर से।

दिनाँक **15.02.2019**

–:: <u>निर्णय</u> ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा निम्बीकलाँ में खसरा नम्बर 201 रकबा 07.04 बीघा भूमि अवस्थित है, जिसके वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 खातेदार हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 वाद के साथ संलग्न है।

प्रशासक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 एक ही खानदान तथा एक ही पूर्वज स्वर्गीय सलेखाँ पुत्र जेतवारखाँ के वारिसान् हैं।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 49 के सहखातेदारी की भूमि है जबकि उक्त जायगा पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 का वर्तमान में 1/2 – 1/2 भाग पर कब्जाकाश्त है। वादी के पिता स्वर्गीय मुरादखाँ, सुमरखाँ के जायन्दा वारिस थे जो स्वर्गीय ताजूखाँ के व उनकी धर्मपत्नी गुलाव के गौद चले गये। इस प्रकार से स्वर्गीय ताजुखाँ का हिस्सा उक्त जायगा पर 1/2 हिस्से के रूप में अनवरत् रूप से रहा व वर्तमान में हैं। गोदनामा की रश्म माननीय सब रजिस्ट्रार के यहाँ दिनाँक 21.02.1956 को रजिस्टर्ड गोदनामा के रूप में प्रस्तुत हुई व उसी दिन स्वीकार की गयी व उक्त प्रमाणित प्रति वाद–पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 49 का हिस्सा खसरा नम्बर 203 रकबा 20.18 बीघा वाकै सरहद निम्बीकलाँ में कब्जाकाश्त व खातेदारी के रूप में दर्ज है। खसरा नम्बर 203 की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा केवल मात्र खसरा नम्बर 201 रकबा 07.04 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 का आधे–आधे रूप में दर्ज है उ उसी अनुसार कब्जाकाश्त है। सम्वत् 2022 में बेरा बोवली के जाव के रूप में सम्बोधित किया जाता रहा तथा इसी जाव की खातेदारी वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 के नाम घोषित करवाने का दावा करना आवश्यक हुआ।

मौजा निम्बीकलाँ में खसरा नम्बर 221 रकबा 25.14 बीघा सम्वत् 2033 से 2036 में वादी के पिता मुरादखाँ का नाम मुरादखाँ खोले ताजूखाँ, खातेदार के रूप में दर्ज रहा व है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1971 भाग संख्या 83 में मकान संख्या 52 पर मुरादखाँ पुत्र ताजूखाँ व भँवरी पत्नी मुरादखाँ के रूप में दर्ज है जिसकी प्रति वाद के साथ संलग्न है। इस प्रकार वंशावली के अनुसार ताजुखाँ का हिस्सा 1/2 अर्थात् 03.12 बीघा की भूमि पर मुरादखाँ का हिस्सा दर्ज रहा व वर्तमान में है। इसी अनुरूप घोषणा करवाने के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 के सामलाती दर्ज है मगर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 अलग–अलग मौखिक बन्ट कर उसी अनुसार काबिजकाश्त है परन्तु इसका विधिवत् बन्टवार नहीं होने से ऋण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 32/2019
दायर दिनाँक 23.01.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
रणजीतखाँ बनाम् अजीतखाँ, वगैरा।

आदि के प्राप्ति में पक्षकारान् को समस्याएँ आती है इसलिए वाद बाबत् विधिक बन्टवारा हेतु पेश है।

प्रतिवादी संख्या 50 आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है तथा ग्रामीण बैंक के यहाँ, प्रतिवादी संख्या 51 के हिस्से की भूमि रहन होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 15 के नाम से हिस्सा अनुरूप घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 49 का नाम हटाया जावे:–

वादी रणजीतखाँ व प्रतिवादी संख्या 01 अजीतखाँ व प्रतिवादी संख्या 02 रमजानखाँ के बन्ट व हिस्से की भूमिः–

खसरा नम्बर 201 रकबा 07.04 बीघा में से पश्चिमी–उत्तरी दिशा की भूमि रकबा 03.12 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार।

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 15 के बन्ट व हिस्से की भूमिः–

खसरा नम्बर 201 रकबा 07.04 बीघा में से पूर्वी–उत्तरी दिशा की भूमि रकबा 03.12 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार।

बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण मौजा निम्बीकलाँ के खेत खसरा नम्बर 201 रकबा 07.04 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 के नाम विपरीत खातेदारी में दर्ज होने से बमुकाम मौजा निम्बीकलाँ में पैदा हुआ।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद निम्बीकलाँ में खसरा नम्बर 201 रकबा 07.04 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा अनुसार, पश्चिमी–उत्तरी भाग रकबा 03.12 बीघा भूमि की खातेदारी वादी रणजीतखाँ व प्रतिवादी संख्या 01 अजीतखाँ व प्रतिवादी संख्या 02 रमजानखाँ के की जावे तथा पूर्वी–उत्तरी भाग रकबा 03.12 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 15 के हक में की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 49 का नाम हटाया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 51 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02, 07, 12, 16 ता 51 के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 06 व 08 ता 11 व 13 ता 15 ने इकबालिया जवाब पेश किया।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम निम्बीकलाँ सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 122/103 खसरा नम्बर 201 की प्रमाणित प्रतिलिपि, डीडवाना (107) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1971 भाग संख्या 83 की छायाप्रति, जमाबन्दी ग्राम निम्बीकलाँ सम्वत् 2066–2069 खेवट संख्या 103/82 खसरा नम्बर 201 की प्रमाणित प्रतिलिपि, भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी जमाबन्दी ग्राम निम्बीकलाँ सम्वत् 2022 क्रम संख्या 04 की छायाप्रति, जमाबन्दी ग्राम निम्बीकलाँ सम्वत् 2023–2037 खेवट संख्या 70, 71 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम निम्बीकलाँ सम्वत् 2037–2040 खेवट संख्या 72/70, 73/73 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जोधपुर गवर्नमेन्ट का स्टाम्प पर लिखित की छायाप्रति, पेश है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुलाय उभयपक्ष का तर्क है कि, वाद में प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 06 व 08 ता 11 व 13 ता 15 ने इकबालिया जवाब पेश कर दिया है तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है तथा वाद में किसी पक्षकार की कोई आपत्ति नहीं है इसलिए दावा माफिक, वाद डिक्री किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वाद में प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 06 व 08 ता 11 व 13 ता 15 ने इकबालिया जवाब पेश किया है व शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है इस प्रकार वाद में किसी पक्षकार की कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा, सरहद निम्बीकलाँ में खसरा नम्बर 201 रकबा 07.04 बीघा भूमि में से, पश्चिमी–उत्तरी भाग रकबा 03.12 बीघा भूमि की खातेदारी वादी रणजीतखाँ व प्रतिवादी संख्या 01 अजीतखाँ व प्रतिवादी संख्या 02 रमजानखाँ के पक्ष में तथा पूर्वी–उत्तरी भाग रकबा 03.12 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 15 के हक में की जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी, निम्न आदेश माफिक डिक्री सादिर किया जाता है।

तहसीलदार
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 32/2019
दायर दिनाँक 23.01.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
रणजीतखाँ बनाम् अजीतखाँ, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद निम्बीकलाँ के वादग्रस्त खसरा संख्या 201 रकबा 07.04 बीघा भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि माफिक, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. रकबा 03.12 बीघा पश्चिमी–उत्तरी दिशा की भूमि का वादी व प्रतिवादी 01 तथा प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. रकबा 03.12 बीघा पूर्वी–उत्तरी दिशा की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 15 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. खसरा संख्या 201 रकबा 07.04 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 49 के नाम, उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाये जाते हैं।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 32/2019 दायर दिनॉक 23.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. रणजीतखॉं पुत्र स्वर्गीय मुरादखाँ, उम्र–57साल, जाति–कायमखानी, निवासी–निम्बीकलॉं, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अजीतखाँ पुत्र मुरादखाँ, 2. रमजानखाँ पुत्र मुरादखाँ, 3. हनीफखाँ पुत्र अलाबदी बगस खाँ, उम्र–72साल, 4. असगरखाँ पुत्र अलाबदी बगस खाँ, उम्र–65साल, 5. शौकतखाँ पुत्र अलाबदी बगस खाँ, उम्र–62साल, 6. मुस्ताकखाँ पुत्र गुमानखाँ, 7. नूर मोहम्मद पुत्र गुमानखाँ, 8. अयूबखाँ पुत्र स्वर्गीय हिदायतखाँ, 9. गुलशेरखाँ पुत्र स्वर्गीय हिदायतखाँ, 10. हबीबखाँ पुत्र नियामतखाँ, 11. शरीफखाँ पुत्र नियामतखाँ, 12. जाकिर पुत्र स्वर्गीय यूसुफ, 13. इलायचीबानो पत्नी स्वर्गीय भँवरूखाँ, 14. अब्दुल रहमान खाँ स्वर्गीय भँवरूखाँ, 15. सफी खाँ पुत्र सहाजतखाँ, 16. उमदा पत्नी दराबखाँ, 17. रजाकखाँ पुत्र दराबखाँ, 18. उस्मानखाँ पुत्र दराबखाँ, 19. मुमताजखाँ पुत्र अकबरखाँ, 20. नत्थूखाँ पुत्र अकबरखाँ, 21. असगरखाँ पुत्र इनायतखाँ, 22. शमशेरखाँ पुत्र इनायतखाँ, 23. हबीबखाँ पुत्र नबूखाँ, 24. फैजूखाँ गोदपुत्र हिमतखाँ, 25. शौकतखाँ पुत्र मालूखाँ, 26. सतारखाँ पुत्र मालूखाँ, 27. रूस्तमखाँ पुत्र अलीमखाँ, 28. दौलतखाँ पुत्र अलीमखाँ, 29. हीरूखाँ पुत्र अलीमखाँ, 30. नूर मोहम्मद पुत्र नजीरखाँ, 31. रजाकखाँ पुत्र नजीरखाँ, 32. ईकबालखाँ पुत्र नजीरखाँ, 33. पन्नेखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 34. मोतीखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		35. चाँदखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 36. सतारखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 37. मुमताजखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 38. उमरदराज पुत्र समदरखाँ, 39. जहाँगीरखाँ पुत्र समदरखाँ, 40. मनवरखाँ पुत्र समदरखाँ, 41. अजीजखाँ पुत्र समदरखाँ, 42. सांवतखाँ पुत्र करीमखाँ, 43. भँवरीबानो पत्नी उम्मेदखाँ, 44. रोशनखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 45. अलखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 46. इसबखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 47. नियाजखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 48. यासीनखाँ पुत्र उम्मेदखाँ, 49. असगरखाँ पुत्र इनायतखाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–निम्बीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 50. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 51. मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा–डिकावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **15.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादी व श्री हाकमअली खाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 06, 08 ता 11 व 13 ता 15 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद निम्बीकलाँ के वादग्रस्त खसरा संख्या 201 रकबा 07.04 बीघा भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि माफिक, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. रकबा 03.12 बीघा पश्चिमी–उत्तरी दिशा की भूमि का वादी व प्रतिवादी 01 तथा प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 03.12 बीघा पूर्वी–उत्तरी दिशा की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 15 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

3. खसरा संख्या 201 रकबा 07.04 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 49 के नाम, उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाये जाते हैं।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत.................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner